न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत–2018 केम्प कोर्ट बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 4/2018 राजस्व अपील पत्र

उनवान

1. बाबुलाल पिता लादु माली उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

— अपीलार्थी

बनाम

1 बालु पिता लादु माली उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 नगजी पिता लादु माली उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 गोदु पिता लादु माली उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 जमना पिता लादु माली उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5 राधेश्याम पिता लादु माली उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6 रूकमा बेवा लादु माली उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7 ग्राम पंचायत बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बनेडा
8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 890 आदेश दिनांक 29–05–1993 ग्राम पंचायत बनेडा

उपस्थित –

1. उभयपक्ष पक्षकारान..... उपस्थित
2. राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेडा स्वंय उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 06.06.2018

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम बनेडा, पटवार मण्डल बनेडा तहसील बनेडा स्थित आराजी संख्या 4093, 4096, 4097, 4099, 4196, 4147, 4150, 4151, 4180, 4181, 4182, 4183, 4186, कुल किता 13 कुल रकबा 10–02 बीघा भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 01 से 06 के पिता श्री लादु पिता नाथु उर्फ नानु माली के नाम पर सम्वत् 2049 से 2052 की जमाबन्दी में दर्ज राजस्व रेकार्ड थी जिनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तरकरण विरासत से केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 के नाम पर त्रूटीपूर्ण दर्ज किया गया। जबकि अपीलार्थी भी मृतक लादु पिता नाथु उर्फ नाथु माली वास्तविक जाईन्दा संतान है।
जिनके के नाम पर ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण नहीं खोल कर विधिक भूल की है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थी को होते ही, उनके द्वारा नकल लेकर विहीत समयावधि में अपील पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रस्तुत अपीलपत्र राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम बनेडा में नया प्राप्त होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। शिविर में अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थी संख्या 01 से 06 उपस्थित रहे, प्रत्यर्थीगणो द्वारा अपीलार्थी के अपील मेमो के माध्यम से कहे तथ्यो पर अपनी और से सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। प्रकरण का मेरिट्स पर परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा उपस्थित पक्षकरान को सुना गया। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जो सजरा प्रमाणित किया है उसमें अपीलार्थी को मृतक लादु माली के वारिस होना नहीं बताकर तथाकथित नामान्तरकरण फैसल किया गया है। जबकि इसके विपरीत मृतक लादु माली के जाईन्दा पुत्र ने अपने अपील मेमों के समर्थन में उसके स्वंय के आधार कार्ड की प्रति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया एवं उपस्थित रेस्पोड़ेन्ट ने भी अपीलार्थी को मृतक लादु माली की संतान होने के सम्बंध में कोई आपति एवं एतराज दौराने शिविर प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी मृतक लादु माली का प्रथमश्रैणी वारिस होकर अपीलाधीन नामान्तरण में अपना नाम बतौर वारिस जुड़वाने के अधिकारी है। हम अपीलार्थीपक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक लादु माली के वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी लिये बिना ही आदेश पारित कर महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा. संख्या 890 आदेश दिनांक 29.05.1993 को अपास्त किया किया जाकर तहसीलदार बनेडा को प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति ग्राम बनेडा, पटवार मण्डल बनेडा तहसील बनेडा स्थित आराजी संख्या 4093, 4096, 4097, 4099, 4196, 4147, 4150, 4151, 4180, 4181, 4182, 4183, 4186, कुल किता 13 कुल रकबा 10–02 बीघा भूमि में प्रत्यर्थीगण संख्या 01 लगायत 06 के नामो के साथ साथ अपीलार्थी का नाम बतौर सहखातेदारी हक से दर्ज किये जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)